न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 58/2017

रूड़मल पुत्र शंकर जाति मीणा, निवासी पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरववाटी जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 26.10.2017
बअदालत तहसीलदार उदयपुरवाटी उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रूड़मल
मु.न. 93/2017, अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956

उपस्थिति:—

1 .श्री विजयपाल , एडवोकेट —— ——————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 14.05.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 26.10.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रूड़मल मु.न. 93/2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार उयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि— अधीनस्थ नयायालय में अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नहीं की गई। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट की पर्याप्त तामील नहीं कर वाई गई। तामील कुनिन्दा अपीलांट के पास कभी नोटिस लेकर नहीं गया। तामीली रिपोर्ट गलत की है। अपीलांट राजकीय सेवा में दिनांक 15.10.2014 को दिल्ली पदस्थापित था और अपीलान्ट की पत्नी भी अपीलांट के साथ दिल्ली ही रहती है अदालत मातहत के यहां सें नोटिस जारी होने की दिनांक 6.10.2017 से लेकर 15.10.2017 तक अपीलांट व उसकी पत्नी दिल्ली थे। नोटिस पर इनकारी की रिपोर्ट गलत की गई। चस्पादगीकी कार्यवाही गलत की गई है। अपीलांट की तामिल सीपीसी के प्रावधानों के मुताबिक नहीं हुई है।अदालत मातहत ने गलत रूप से तामील मानकर अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से निर्णय पारित करने में गलती की है।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की अतिक्रमण की रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। पटवारी रिपोर्ट में अतिक्रमण स्थल दर्शित नहीं किया गया है। जमीन जैर बहस का नाप किया गया हो दर्ज नहीं है। इस प्रकार निर्णय जैर बहस खारिज होने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अधीनस्थ नयायालय में अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट की पर्याप्त तामील नहीं कर वाई गई। तामील कुनिन्दा अपीलांट के पास कभी नोटिस लेकर नहीं गया। तामीली रिपोर्ट गलत की है। अपीलांट राजकीय सेवा में दिनांक 15.10.2014 को दिल्ली पदस्थापित था और अपीलान्ट की पत्नी भी अपीलांट के साथ दिल्ली ही रहती है अदालत मातहत के यहां से नोटिस जारी होने की दिनांक 6.10.2017 से लेकर 15.10.2017 तक अपीलांट व उसकी पत्नी दिल्ली थे। नोटिस पर इनकारी की रिपोर्ट गलत की गई। चस्पादगी की कार्यवाही गलत की गई है। अपीलांट की तामिल सीपीसी के प्रावधानों के मुताबिक नहीं हुई है। अदालत मातहत ने गलत रूप से तामील मानकर अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से निर्णय पारित करने में गलती की है। पटवारी रिपोर्ट में अतिक्रमण स्थल दर्शित नहीं किया गया है। जमीन जैर बहस का नाप किया गया हो दर्ज नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पचलंगगी में भूमि खसरा नंबर 599 रकबा 0.35 है0 किस्म बंजड़ में से रकबा 06 वर्ग मीटर पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने के कारण तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत निर्णय पारित कर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी में उसकी विधिवत तामील नहीं हुई। तामील कुनिन्दा द्वारा इन्कारी की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। वह दिल्ली में नौकरी करता है और परिवार के

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

साथ दिल्ली में रह रहा है। उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2017 मु0न0 93/2017 उनवानी सरकार बनाम रूड़मल निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे वादग्रस्त भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रकिया के अन्तर्गत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की मिसल अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्राकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू